01

<u>न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अंजड, जिला-बड्वानी (म.प्र.)</u> (समक्ष-श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य)

व्यवहार वाद कमांक 10 'बी' / 2016 संस्थन दिनांक 28.07.2014

गणेश पिता किसन जाति भीलाला, आयु-42 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी ग्राम कुडिया (सेंगवाल), तहसील ठीकरी, जिला-बडवानी (म.प्र.)

विरुद्ध

- जिलाधीश बड़वानी, जिला-बड़वानी, (म०प्र०) 1.
- वन मंडल अधिकारी, बडवानी, जिला–बडवानी, (म०प्र०) 2.
- वन विभाग रेन्ज सामान्य विभाग, राजपुर तहसील राजपुर, जिला–बडवानी, (म०प्र०)
- वन परिक्षेत्र डिप्टी रेन्जर ठीकरी, 4. तहसील ठीकरी, जिला-बडवानी, (म०प्र०)
- सचिव ग्राम पंचायत सेंगवाल, 5. तहसील ठीकरी, जिला-बडवानी, (म०प्र०)

-प्रतिवादीगण

/ / <u>निर्णय</u> / /

(आज दिनांक 30.10.2017 को घोषित)

- वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व ग्राम सेंगवाल (कृण्डिया) में कक्ष कं0 2/993 जिसके आगे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा में अपने द्वारा बोई गई भूमि में फसल तिल्ली एवं ज्वार की फसल को नष्ट करने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादी कं0 3 व 4 से रूपये 1,00,000 / — (एक लाख रूपये) के मिलने बाबद प्रस्तुत किया है ।
- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि उक्त भूमि प्रतिवादी कं0 2 और 3 के स्वत्व की है तथा वादी द्वारा उक्त भूमि पर लगाये गये बास के 290 पौधे उखाडने के कारण वादी के विरूद्ध वन विभाग के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) च के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तृत किया था, जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड (श्री मसूंद एहमद खान) के द्वारा वादी को आपराधिक प्रकरणं कं0 445 / 10 में निर्णय दि0 13.12.2012 के द्वारा वादी को उक्त अपराध में दोषी ठहराते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 / – रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

	$\overline{}$			
Ī	₹	₹	٦	₹

- वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का सन् 1979 से करीब 50-60 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है और वही उसका उपयोग और उपभोग ले रहा है । उक्त भूमि पर पट्टे की कार्यवाही जनपंद पंचायत ठीकरी के द्वारा ठहराव प्रस्ताव करके की गयी है, किन्तु प्रतिवादी कुं0 3 व 4 के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य की भूमि पर जबरन गढढे खोद कर उसमें पौधे लगाये इस बारे में वादी ने संबंधित विभागो में शिकायते की ओर लिखित में भी आवेदन दिया था किन्तू उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं ह्यी । वादी ने वादग्रस्त भूमि पर ज्वार व तिल्ली की फसल बोई थी, जो कि, प्रतिवादी कुं0 3 व 4 के कर्मचारियों द्वारा वादी की भूमि पर प्रवेश कर उक्त फसल को काट लिया था । वादी को नुकसान पहुंचाया जिस पर वादी ने खाद की दवाई पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया । इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण के कर्मचारियों के कारण वादी अपनी फसल से वंचित हुआ । तब वादी ने जन सुनवाई में दि० 07.08.2012 को एक लिखित आवेदन तहसीलदार ठीकरी को दिया किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई जबकि वादी ने परीसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 57 के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर 60 वर्ष से अधिक समय से आधिपत्य होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि का एक मात्र मालिक हो चुका है। ऐसी घोषणा एवं ठहराव प्रस्ताव जनपद पंचायत ठीकरी एव ग्राम पंचायत सेंगवाल द्वारा किया जा चुका है और वादग्रस्त भूमि का पट्टा पाने का अधिकारी है। इस कारण वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी कमांक 03 एवं 04 वादग्रस्त भूमि पर बोई गई उसकी फसलों को नुकसान करने के लिये उक्त प्रतिवादीगण से 1,00,000 / - (एक लाख रूपये) प्रतिकर की मांग की है।
- प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 वादोत्तर पेश करके वादी के वादग्रस्त भूमि पर सन् 1979 से कब्जा होने से स्पष्ट इंकार किया है तथा स्पष्ट किया, कि वादग्रस्त भूमि वन विभाग के कब्जे मे और वहाँ समय समय पर बॉस के पौधे लगाये जाते रहे है तथा वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा होकर उसका उपयोग उपभोग उनके द्वारा किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी भी आधिपत्य नहीं रहा और उसके द्वारा तिल्ली और ज्वार की फसल नहीं लगाई थी तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 और 04 द्वारा वादी की फसल नष्ट नहीं की गई। वादी ने उक्त घटना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या की कोशिश भी नहीं की। यदि ऐसा वादी करता तो पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 309 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती लेकिन वादी ने न्यायालय की सहानुभूति प्राप्त करने असत्य कथन किये है। वादी को कोई भी वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है, वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध असत्य शिकायत की थी जो तहसीलदार ठीकरी द्वारा निरस्त कर दी गई, चुकिं वादगस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है और उनके द्वारा बॉस के पींधे लगाये जाते है। जिसे वादी ने उखाड कर फेक दिया था, तब वन विभाग ठीकरी के द्वारा वादी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) च के अंतर्गत परिवाद पेश किया था जिसमें न्यायालय ने वादी को दोषसिद्ध किया है। वन विभाग की पुस्तिका में भी वादग्रस्त भूमि वन विभाग के आधिपत्य में बताई गई है। प्रतिवादीगण ने वादी का वाद

.....निरंतर

निरस्त करने की प्रार्थना की। इ

05. उभयपक्षों के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्नों की रचना की गयी, जिनके समक्ष निष्कर्ष साक्ष्य उपरांत अंकित किए गये:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी द्वारा ग्राम सेंगवाल तहसील अंजड में ग्राम कुंडिया में स्थित भूमि कक्ष क्रमांक 2 / 993 पर पिछले 50–60 वर्ष से आधिपत्य करके कृषि कार्य किया जा रहा है।	
2	क्या प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के कर्मचारियों ने उक्त वादग्रस्त भूमि मेंवादी के द्वारा बोई हुई फसल को क्षति पहुंचाकर वादी को लगभग एक लाख रूपये का नुकसान कारित किया।	
3.	क्या हां तो क्या वादी रूपये एक लाख का प्रतिकर प्रतिवादी क्रंमाक 3 व 4 से पाने का अधिकारी है ।	
4.	सहायता एवं व्यय	

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार वाद प्रश्न कमांक 1 व 2 के संबंध में

06. उक्त वाद प्रश्न क्रमाकं 01 के संबंध में वादी गणेश (वा0सा0 1) का कथन है कि, वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा उसके पिता के पिता के समय से चला आ रहा है । उसके पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य है और मक्का, ज्वार तथा तिल्ली की फसल उसके द्वारा बोई गयी थी, जो प्रतिवादी कं0 3 व 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2014 में उसकी अनुमित के बिना और उसे सूचना दिये बिना उसकी फसल को नष्ट कर दिया तथा फसल को काट पीट कर खत्म कर दी जिसका नुकसान उसे रूपये 1,20,000/— (एक लाख बीस हजार रूपये) का हुआ। इस प्रकार उसकी फसल प्रतिवादी कं0 3व 4 की लापरवाही के कारण हुयी जिसके लिये वे लोग उत्तर दायी है इस कारण से न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिये प्रतिवादीगण को दो माह पूर्व सी0पी0सी0 की धारा 80 नियम 1 का सूचना पत्र दिया था जिसका उन्होने कोई जवाब नहीं दिया और उसने कोई धनराशि भी अदा नही की । उसने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी और जनपद में भी शिकायत की थी जनसुनवाई में भी आवेदन दिया था, किन्तु उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी इस कारण उसे वादग्रस्त भूमि का पटटा लेने, स्वत्व घोषित और नुकसानी प्राप्त करने के

.....निरंतर

लिये वाद प्रस्तुत किया । उसका वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से आधिपत्य चला आ रहा है इस कारण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का स्वत्व समाप्त हो चुका है, तथा परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 57 के अनुसार उसे वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है इस कारण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का स्वत्व समाप्त होकर वादी का नाम घोषित किया जाये और उसे प्रतिवादी कं0 3 व 4 से क्षतिपूर्ति रूपये 1,20,000 / — (एक लाख बीस हजार रूपये) दिलायी जाये ।

- अपने समर्थन में वादी की ओर से आपराधिक प्रकरण कं0 445 / 2010 निर्णय दि० 13.12.2012 की अर्थदण्ड की रसीद ,उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी० ०५.तहसीलदार ठीकरी द्वारा जारी पत्र दि० २९.०८.२०१२ की प्रतिलिपि प्र0पी0 3, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दि० 3.11.2012 प्र0पी0 4 एवं कलेक्टर बडवानी को सी0पी0सी0 की धारा 80 के अंतर्गत दी गयी सूचना की छायाप्रति पेश की है । प्रतिवादीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में वादी ने स्वीकार किया कि, उसके द्वारा जिस भिन का दावा लगाया है उसका कोई भी पटटा उसके पिताजी के पास या उसके पास नहीं है । वन विभाग समय समय पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित करता है। वादी ने यह भी स्वीकार किया है कि, शासकीय भूमि पर शासन के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है तो उस पर आम जनता का कोई सरोकार नहीं होता । उसके द्वारा प्रकरण में वन विभाग के जुर्माने की कोई रसीद पेश नहीं की तथा जिस भूमि का वाद चल रहा है वह जमीन वन विभाग की है, लेकिन वादी ने स्पष्ट किया कि, उसका भी कब्जा है। वादी ने स्वीकार किया है कि, वादग्रस्त भूमि पर वन विभाग के द्वारा बास के पौधे लगाये गये थे लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि, वन विभाग के द्वारा वाद ग्रस्त जमीन पर पानी के लिये गढढे किये थे । वादी ने स्पष्ट किया कि, फसल नुकसान की थी ,वादी ने स्वीकार किया कि, उसके द्वारा की गयी प्र0पी0 3 की शिकायत निराधार मानकर निरस्त की गयी है । वादी ने स्वीकार किया है कि. उसके विरूद्ध अंजड न्यायालय में एक फौजदारी प्रकरण चला था जिसमें उसे वन विभाग की भूमि पर लगाये गये 600 पौधों में से 290 पौधों को उखाड कर नष्ट करने के संबंध में भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (1) च के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 500 / — अर्थदण्ड किया गया है । लेकिन वादी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने असत्य वाद पेश किया है , यहा उसका वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य नहीं है ।
- 08. दिरयाव (वा०सा० 2) का कथन है कि, वादग्रस्त शासकीय भूमि पर वादी का कब्जा उसके पिता के समय से चला आ रहा है । वादी के पिता के मरने के बाद उक्त भूमि पर वादी का आधिपत्य है , उक्त भूमि पर वादी ने मक्का, ज्वार व तिल्ली बोई थी जो मौके पर बोई थी तथा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014 में वादी की जमीन पर उसकी अनुमित के बिना और उसे सूचना दिये बिना वादी की फसल को नष्ट कर दिया , तथा काटपीट कर खत्म कर दी, जिसका नुकसान रूपये 1,20,000 / (एक लाख बीस हजार रूपये) हुआ । जिसके लिये प्रतिवादीगण उत्तरदायी है । वादी ने इस संबंध में प्रतिवादीगण को सूचना पत्र दिया था , जिसका कोई जवाब उन्होने ने नहीं दिया

वादी ने इस संबंध में जनपद पंचायत, जन सुनवाई में आवेदन दिया था और पुलिस में भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुयी । वादी का उसके पूर्वजों के समय से वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य चला आ रहा है इस कारण वादी उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने का अधीकारी है। अतः वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादी का स्वत्व घोषित किया जाये । प्रतिवादीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि, वादी के पास लगभग 2 बीघा जमीन है, तथा उसके पास वाली भूमि का भी पट्टा है । साक्षी ने स्वीकार किया कि, गणेश के विरुद्ध वन विभाग की भूमि पर लगाये गये पोधो को नष्ट करने का प्रकरण चला है और उसके पास वादग्रस्त भूमि का पट्टा है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि, वह वादी के कहने से असत्य कथन कर रहा है ।

- गुलाम नभी शेख प्रतिवादी साक्षी कं0 1 का कथन है कि,वादग्रस्त भूमि वन भूमि होकर उसका कब्जा वन विभाग के पास है, जिस पर समय समय पर बास के पौधे लगाये जाते हैं, तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा होकर उसका उपयोग उपभोग उनके द्वारा किया जा रहा है । वादी ने कई भी वादग्रस्त भूमि को कब्जे में लेकर उस पर ज्वार और तिल्ली की फसल कभी नहीं लगायी तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की किसी फसल का नुकसान नहीं किया गया है । वादग्रस्त भूमि पर वाद कारण तिथि के पूर्व एवं उसके अनन्त काल तिथि से वन विभाग का कब्जा है । वादी ने फर्सल नुकसानी के संबंध में तहसीलदार ठीकरी को दि० 07.08.2012 को शिकायत की थी जो असत्य होने के कारण निरस्त कर दी गयी । वादी को जनपद पंचायत एवं वन समिति द्वारा कोई प्टटा नहीं दिया गया और उन्हे पट्टा देने का कोई अधिकार नही है। वादी वादग्रस्त भूमि पर किसी भी तरह का आधिपत्य करना चाहता है, पूर्व में भी वादी को वन विभाग के परिवाद के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा लगाये गये 290 बास के पौधे उखाड कर फेकने के कारण न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया । म०प्र० शासन के वन विभाग की कक्ष पुरितका में भी वादग्रस्त भिम पर वन विभाग के आधिपत्य होने का लेख है।
- 10. उक्त साक्षी ने वन विभाग का इतिहास कक्ष की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी० 1 प्रमाणित की है, वादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, वह वादी को जानता है, किन्तु उसके पिता को नहीं जानता है । साक्षी ने वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य उसके पूर्वजों के समय से होने से स्पष्ट इंकार किया है । साक्षी ने सुझाव से इंकार किया है कि, उक्त भूमि पर वादी ने 200 पौधे लगाये थे , साक्षी ने स्पष्ट किया कि, उक्त पौधे वन विभाग ने लगाये थे । साक्षी ने इस सुझाव से इंकर किया कि, वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 2014 में वादी ने मक्का और ज्वार की फसल बोई थी, जो उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दी गयी । साक्षी ने स्पष्ट किया कि, वादग्रस्त भूमि पर वादी की कोई खेती नहीं थी, उसका कोई कब्जा नहीं था और कोई कब्जा हटाया भी नहीं गया । उक्त साक्षी ने न्यायालय के निर्णय दि0 13.12.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी० 5 को स्वीकार किया तथा यह भी स्वीकार किया, कि न्यायालय ने वादी का हटाने का आदेश नहीं दिया था साक्षी ने स्पष्ट किया कि. न्यायालय ने वादी का

कब्जा माना ही नहीं तो आदेश कैसे होगा ।

- 11. साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि, विवादित भूमि पर 10 किलो ज्वार, मक्का एवं तिल्ली का उनके द्वारा कोई नुकसान नहीं किया । साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि, वादी ने शासन के विरुद्ध असत्य दावा लगाया है । लेकिन साक्षी के उक्त उत्तर संभवतः भ्रमवंश या कम्प्यूटर की गलती से टंकित हुआ है क्योंकि साक्षी का सम्पूर्ण कथन देखा जाये ,तो स्पष्ट होता है कि, प्रतिवादीगण की ओर से उक्त साक्षी ने वादी का वाद असत्य आधारों पर होना और वादी की फसल का कोई भी नुकसान उनके विभाग द्वारा नहीं करना बताया है ,क्योंकि उक्त साक्षी ने अगले ही वाक्य में स्पष्ट किया कि, ,वादी के द्वारा कोई फसल नहीं बोई गयी तो फिर नुकसान कैसे होगा । प्रतिवादी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि, उसने असत्य जवाब पेश किया या वह असत्य कथन कर रहा है ।
- वादी की ओर से अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये, जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा प्रमाणित हो, या वादग्रस्त भूमि पर उसके द्वारा पिछले 50–60 वर्षो से कृषि कार्य करना अथवा उक्त भृमि पर ज्वार,मक्का व तिल्ली की फसल लगाना प्रमाणित हो। वादी ने जो प्र0पी0 05 का निर्णय पेश किया है जिसमें वादी/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) च के अंतर्गत दोषी इस आधार पर ठहराया गया है कि, उसके द्वारा वन विभाग ठीकरी (प्रतिवादी कुं0 4) की कक्ष कुं0 993 / 2 में वन विभाग द्वारा लाये गये बास के 600 पोधों में से 290 पोधे उखाड कर नष्ट कर दिये गये । इस प्रकार उक्त प्र0पी० 5 के निर्णय से भी यह प्रमाणित होता है कि, वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं है, बल्कि प्रतिवादी कुं0 4 का आधिपत्य है। प्रतिवादी साक्षी गुलाम नबी शेख ने अपनी ओर से प्र0डी० 1 का दस्तावेज वादग्रस्त भूमि का पेश किया है। जिसमें भी वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी कुं0 4 के स्वत्व और आधिपत्य की होना दर्शित किया गया है, उक्त दस्तावेज एक लोक दस्तावेज है,तथा सक्षम लोक सेवक द्वारा अपने विभाग की विधि पूर्ण अभिरक्षा से पेश किया गया है ऐसी स्थिति में जबकि वादी की ओर से उक्त दस्तावेज का कोई खंडन भी नहीं हुआ है तो उक्त दस्तावेज की सही होने की उपधारणा की जा सकती है। वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि पर अपना पुराना वर्ष 1979 से आधिपत्य होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश या प्रमाणित नहीं किये गये है ।
- 13. इस प्रकार वादी की साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि, वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पिछले 50—60 वर्ष से आधिपत्य करके कृषि कार्य किया जा रहा है, तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि, प्रतिवादी कं0 3 व 4 के कर्मचारियों ने उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी के द्वारा बोई हुई फसल को क्षति पहुंचाकर वादी को लगभग एक लाख रूपये का नुकसान कारित किया । अतः वाद प्रश्न कं0 1 व 2 प्रमाणित नहीं होते है ।

.....निरंतर

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार वाद प्रश्न कमांक 3 के संबंध में

चूंकि वाद प्रश्न कं0 1 व 2 की विवेचना से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि, वादी का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 50-60 वर्ष से आधिपत्य होकर कृषि कार्य किया जा रहा तथा यह भी प्रमाणित नहीं हुआ कि, प्रतिवादी कं0 3 व 4 के कर्मचारियों ने उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी की फसल को क्षति पहुंचा कर उसे लगभग रूपये 1,00,000 / — (एक लाख रूपये) का नुकसान कारित किया ऐसी स्थिति में वादी, प्रतिवादी कं0 3 से कोई भी प्रतिकर पाने का अधिकारी प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त वाद प्रश्न का निष्कर्ष भी प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार वाद प्रश्न कमांक 4 के संबंध में

उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, वादी अपना वाद प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है, अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे

अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियम 523 म.प्र व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के अनुसार अथवा जो भी रकम प्रमाणित हुई हो अथवा दोनों में से जो कम हो, वह व्यय में जोड़ी जाए ।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति की रचना की जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उदबोधन पर टंकित किया गया ।

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, अंजड् जिला–बडवानी (म.प्र.)

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, अंजड जिला–बडवानी (म.प्र.)

<u> </u>
 निरतर